न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :— 171/2022 GCMS 2022/346

वादीगण :—

1. मांगीलाल पुत्र श्री दानाराम आयु 60 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम शिव तहसील कुचामन सिटी, जिला— नागौर (राजस्थान) हाल निवासी ग्राम नोनपुरा तहसील कुचामन सिटी,
2. राजेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल आयु 35 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम नोनपुरा तहसील कुचामन सिटी,

प्रतिवादी गण :—

1. सोहनी देवी पत्नी श्री रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम नोनपुरा तहसील कुचामन सिटी,
2. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा कुचामन सिटी, जिला— नागौर
3. शाखा प्रबन्धक, द नागौर सेंट्रल को—ऑपरेटिव बैंक, शाखा कुचामन सिटी,
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी
5. उप—पंजीयक कुचामन सिटी,तहसील कुचामन जिला नागौर

दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53व 188 R.T.Act 1955

उपस्थित :— श्री पुष्पेन्द्रसिंह, श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 17.01.2023

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है, माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 26.12.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2022/ 89 दिंनाक 10.01.2022 के द्वारा भिजवाई गई, दिनॉक 05.01.2023 को तैयार मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम बरालपुरा पटवार मण्डल शिव तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 445 रकबा 9.42 हैक्टर में नजरी नक्शा में अंकित बिन्दू सं. **A** रकबा 0.02 हैक्टर वादी मांगीलाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी शिव हाल निवासी नोनपुरा तहसील कुचामनसिटी, 6.48 हैक्टर वादी राजेश कुमार पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी नोनपुरा तहसील कुचामनसिटी, बिन्दू सं. **B** रकबा 2.92 हैक्टर प्रतिवादी सोहनी देवी पत्नी रामनिवास जाट निवासी ग्राम नोनपुरा तहसील कुचामनसिटी हक हिस्से पर काबिज है। जिसमें वादी राजेश कुमार का हक हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज है तथा प्रतिवादी सोहनी देवी का हक हिस्सा दी नागौर सैन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागौर शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज है। उपस्थित पक्षकारों ने उपरोक्त नजरी नक्शानुसार काबिज होना बताया तथा उपरोक्त अनुसार जोत विभाजन करवाना चाहते है। मौके पर उपस्थित ग्रामीण व मौजिज व्यक्तियो, के कब्जे की भूमि के संबंध में जानकारी ली गई तो उपस्थित ने बताया कि नजरी नक्शे में दर्शाये गये बिन्दू नजरी नक्शें में दर्शायें नये मार्क अनुसार सभी खातेदारान काबिज है। पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम बरालपुरा पटवार मण्डल शिव तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 445 रकबा 9.42 हैक्टर में नजरी नक्शा में अंकित बिन्दू सं. **A** रकबा 0.02 हैक्टर वादी मांगीलाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी शिव हाल निवासी नोनपुरा तहसील कुचामनसिटी, 6.48 हैक्टर वादी राजेश कुमार पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी नोनपुरा तहसील कुचामनसिटी, बिन्दू सं. **B** रकबा 2.92 हैक्टर प्रतिवादी सोहनी देवी पत्नी रामनिवास जाट निवासी ग्राम नोनपुरा तहसील कुचामनसिटी को मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 05.01.2023 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादी राजेश कुमार का हक हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज रहेगा, तथा प्रतिवादी सोहनी देवी का हक हिस्सा दी नागौर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागौर शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 17/01/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:57 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम बरालपुरा पटवार मण्डल शिव तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 445 रकबा 9.42 हैक्टर में नजरी नक्शा में अंकित बिन्दू सं. **A** रकबा 0.02 हैक्टर वादी मांगीलाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी शिव हाल निवासी नोनपुरा तहसील कुचामनसिटी, 6.48 हैक्टर वादी राजेश कुमार पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी नोनपुरा तहसील कुचामनसिटी, बिन्दू सं. **B** रकबा 2.92 हैक्टर प्रतिवादी सोहनी देवी पत्नी रामनिवास जाट निवासी ग्राम नोनपुरा तहसील कुचामनसिटी को मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 05.01.2023 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादी राजेश कुमार का हक हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज रहेगा, तथा प्रतिवादी सोहनी देवी का हक हिस्सा दी नागौर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागौर शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 17/01/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 171/2022 GCMS 2022/346

वादीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र श्री दानाराम आयु 60 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम शिव तहसील कुचामन सिटी, जिला– नागौर (राजस्थान) हाल निवासी ग्राम नोनपुरा तहसील कुचामन सिटी,
2. राजेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल आयु 35 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम नोनपुरा तह. कुचामन सिटी,

प्रतिवादी गण :–

1. सोहनी देवी पत्नी श्री रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम नोनपुरा तहसील कुचामन सिटी,
2. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा कुचामन सिटी, जिला– नागौर
3. शाखा प्रबन्धक, द नागौर सेंट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, शाखा कुचामन सिटी,
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी
5. उप–पंजीयक कुचामन सिटी,तहसील कुचामन जिला नागौर

दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53व 188 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री पुष्पेन्द्रसिंह एवं श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद प्राथमिक डिक्री कर घोषणा कि जाती है **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम बरालपुरा पटवार मण्डल शिव तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 445 रकबा 9.42 हैक्टर में नजरी नक्शा में अंकित बिन्दू सं. A रकबा 0.02 हैक्टर वादी मांगीलाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी शिव हाल निवासी नोनपुरा तहसील कुचामनसिटी, 6.48 हैक्टर वादी राजेश कुमार पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी नोनपुरा तहसील कुचामनसिटी, बिन्दू सं. B रकबा 2.92 हैक्टर प्रतिवादी सोहनी देवी पत्नी रामनिवास जाट निवासी ग्राम नोनपुरा तहसील कुचामनसिटी को मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनॉक 05.01.2023 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादी राजेश कुमार का हक हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज रहेगा, तथा प्रतिवादी सोहनी देवी का हक हिस्सा दी नागौर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नागौर शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत.................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 01 सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
ओहदा
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मह[illegible]		
महन्ताना वकिल			[illegible]गवाह		
खर्चा गवाहन			फिस कमि[illegible]		
फिस कमिश्नर			बबत [illegible] हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:57 IST
Reason: SelfAttested

59
17/1/23

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक / भू–अ. / 2022 / 89 दिनांक :– 10-01-2023

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व प्रकरण वाद सं. 171 / 2022 मांगीलाल बनाम सोहनी देवी वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक कोर्ट / 2022 / 347 दिनांक 26.12.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद सं. 171 / 2022 मांगीलाल बनाम सोहनी देवी वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू.अ.नि. चितावा व पटवारी हल्का शिव की उपस्थिति में तैयार करवाई गई है ।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:57 IST
Reason: SelfAttested

SDM Court लोहे प्र.

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं सुनिल कुमार (नाम) तहसीलदार कुचामन सिटी, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के आदेश कमांक /कोर्ट/2022/347 दिनांक 26-12-2022 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 05-1-2023 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर- 445 वाके ग्राम करालपुरा पटवार हल्का ~~[illegible]~~ .... पर श्री .... नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 171/2022 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	मांगीलाल	पुत्र रामाराम		जाट	वादी
2.	राजेश कुमार	पुत्र मांगीलाल		जाट	वादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

मौके पर उपस्थित वादीगण मांगीलाल, राजेशकुमार व अन्य मौजिज [illegible] की उपस्थित में श्रीमान मान्यनीय न्यायालय उपखण्ड [illegible] कुचामन द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में उपस्थित के समक्ष मौका निरीक्षण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:57 IST
Reason: SelfAttested

P.T.O.

5/1/23
तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

प. [illegible]

भू.अ.नि. [illegible]

मौके पर उपस्थित वादी व अन्य व्यक्तियों के बतानुसार की मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति निम्न प्रकार है। इसका नजरी नक्शा निम्न प्रकार है।

ग्राम बरालपुरा के खसरा नं. 445 रकबा 9.42 हैक्टर का नजरी नक्शा

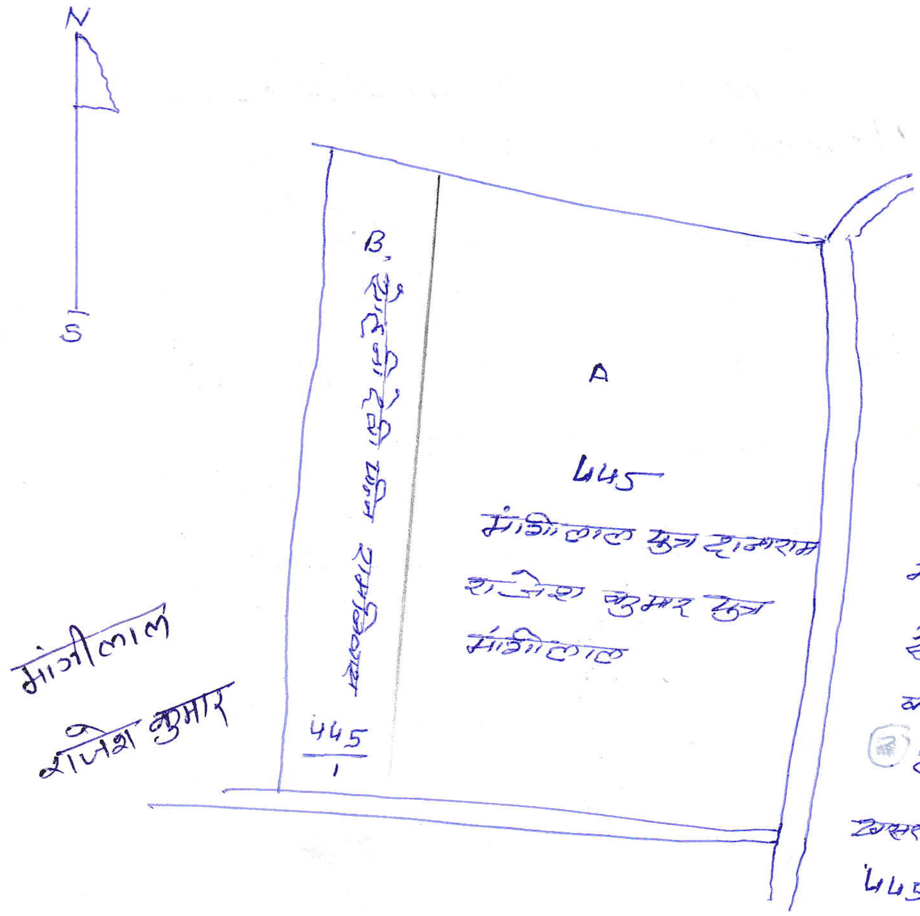

① मांगीलाल पुत्र दानाराम जाति जाट 0.02 हैक्टर शे. शिव राजेशकुमार पुत्र मांगीलाल जाति जाट 6.48 हैक्टर शे. सोनपुरा खातेदार रहिन- राजेश का हिस्सा राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुचामन सिटी

खसरा	रकबा	किस्म	लगान
445	6.50	बा.I	32.50

② मोहनीदेवी पत्नि रामनिवास जाति जाट शे. सोनपुरा खातेदार रहिन- दी. नागौर सेन्ट्रल को. आप. [illegible] बैंक शाखा कुचामन सिटी

खसरा	रकबा	किस्म	लगान
445/1	2.92	बा.I	14.60

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:57 IST
Reason: SelfAttested

6/1/23

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

प. शिव

भू. अ. नि. चितावा

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1	मांगीलाल	पुत्र दानाराम	जाट	मांगीलाल	वादी
2.	राजेशकुमार	पुत्र मांगीलाल	जाट	राजेशकुमार	वादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
नहं					

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..
1.	प्रभुराम	पुत्र सुगननाथ	50 वर्ष	जाति नाथ	9636395799
2.	दल्लाराम	पुत्र लक्ष्मणराम	38 वर्ष	जाति जाट	9829178989 9829179292
3.	भामीरखराम	लिछमनराम	48 वर्ष	जाति जाट	7742789989
4.	राजेन्द्रकुमार	पुत्र रामदेवाराम	23 वर्ष	जाति जाट	9001735167

इस प्रकार आज दिनांक .... को मौके की रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:57 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
पं. मं. शिव	वृत. चितावा	....	....

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

P.T.O